(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक-2183-एक/2005 के विरूद्ध पारित आदेक दिनांक 19.09.05 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, द्वारा के प्रकरण क्र0 अपील 258/01—02

......

कुंवरपाल पुत्र पर्वतसिंह
निवासी— ग्राम सिगदौआ
तहसील नरवर जिला—शिवपुरी
म0प्र0

—————. आवेदक

विरूद्ध

1.पहलवान पुत्र बल्लू
निवासी—ग्राम बघरवाया मेढा
तहसील खनियांधाना जिला शिवपुरी
मध्य प्रदेश

————अनावेदक

....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश

(आदेश दिनांक 27/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 258/01–02/अपील में पारित आदेश दिनांक 19.9.05 के विरूद्व म.प्र.भू.रा.संहिता –1959 (जिसे आगे संहिता कहा गया है) की धारा –50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय नरवर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 8/99–2000/अ/6 में पारित आदेश दिनांक 31.7.2000 के द्वारा अ.वि.अ. के प्र.क्र 80/88–99/अपील में पारित आदेश दिनाक 30.07.99 के पालन में कार्यवाही करते हुये ग्राम सिंगदौआ की भूमि सर्वे क्र. 311 रकवा 1.10 है0 से रकवा 1.00 है0 पर विक्रय पत्र के आधार पर कुंअरपाल का नामांतरण किया गया। इस आदेश के विरुद्व पहलवान द्वारा अ.वि.अ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अ.वि.अ. द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने से दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय पर में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा 19.9.05 से आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने से दुखित होकर आवेदक कुवंरपाल द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3/आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि विक्रय दिनांक को विक्रय से प्रतिबंधित नहीं था। आवेदक ने विधिवत 50,000/– रूपये प्रतिफल का भुगतान कर रजिस्ट्री विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तदनुसार तहसीलदार न्यायालय द्वारा आवेदक का नामांतरण किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। आवेदक अधिवक्ता का आगे तर्क है कि विवादित भूमि विक्रय दिनांक को विक्रय से प्रतिबंधित नहीं था। बाद में खसरा में विक्रय से प्रतिबंधित होने की प्रविष्टि कब कैसे एवं किस सक्षम आधिकारी के आदेश से की गई है इस प्रश्न पर जांच किये बिना आवेदक के पक्ष में किये गये नामांतरण जिसे प्रथम अपील में स्थिर रखा गया था। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी में उल्लेख किया गया है। मैन अभिभाषक के तर्को पर मनन किया एवं अभिलेख का अध्ययन किया। आवेदक ने अपने निगरानी मेमो में तहसील न्यायालय द्वारा नामातंरण नियमों का पालन न किया जाना और आलोच्य भूमि को विक्रय से प्रतिबंधित होने का उल्लेख किया । प्रकरण के संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि भूमिस्वामी द्वारा भूमि सर्वे क्र. 311 रकवा 1.00 है. कुंअरपाल पुत्र परवत को 50,000/–रु में विक्रय की है, और इसी विक्रय पत्र के आधर पर तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण का आदेश तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। तहसील न्यायालय के प्रकरण संलग्न खसरा प्रति वर्ष 96–97 के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट है कि आलोच्य भूमि सर्वे क्र. 310 एवं 311 कुअरपाल के नाम पर अंकित होकर विक्रय से प्रतिबंधित भूमि का विक्रय वगैर कलेक्टर की अनुमति के विधि विरुध्द है और ऐसे विक्रय के आधार पर केता का कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते है। अतएव तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानो के कारण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, कि भूमि विक्रय से प्रतिबंधित है। स्पष्ट है कि वास्तविक तथ्यों को छिपाकर भूमिस्वामी द्वारा वगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के आलोच्य भूमि का विक्रय सम्पादित किया गया। जो विधि के प्रतिकूल होने के साथ ही साथ पटटे की शर्तो का उल्लेख भी है और पटटे की शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरुप भूमिस्वामी आलोच्य भूमि को धारण करने का अधिकारी नहीं रह जाता ।

5/उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 19.9.2005 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर